भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 449
(सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

उत्तर प्रदेश में सीएसआर

449. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष को जिला-स्तरीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए एक संरचित तंत्र विकसित करने का विचार है ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से अमरोहा शहर और गजरौला के औद्योगिक क्षेत्र के आसपास पेयजल, स्वच्छता, स्कूलों के उन्नयन, स्वास्थ्य-जागरूकता और कौशल-संबंधी सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ सीएसआर परियोजनाओं का बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके;
(ख) यदि हाँ, तो अमरोहा जिले के लिए प्रस्तावित सीएसआर परियोजना-बैंक, जिला स्तर पर आवश्यकताओं की मैपिंग, ऑनलाइन प्रगति-निगरानी, विश्वसनीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने और सार्वजनिक सुविधाओं, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के आसपास सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका कार्यान्वयन करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार कारपोरेट्स को किसी विशिष्ट कार्यकलापों अथवा विशिष्ट क्षेत्र पर व्यय करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं करती है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया सीएसआर व्यय से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन www.csr.gov.in पर उपलब्ध है।
